पत्रिका { भोपाल प्राइम }
BHOPAL PRIME
पत्रिका
भोपाल, रविवार, 04 अगस्त 2024
SUNDAY 02
patrika.com

हरियाली अमावस्या पर गड्ढों का काला टीका



भोपाल. आज हरियाली अमावस्या है। भोपाल की यह हरी-भरी तस्वीर शहर के सबसे प्राइम लोकेशन प्रशासन अकादमी के पास की है। हरियाली के बीच जो सड़क दिख रही उस पर हर रोज प्रशासनिक अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन इन्हें सड़क के गड्ढे नहीं दिखते। हो सकता है ये सड़क में गड्ढों को टोटके के रूप में मानते हों। इसलिए इन्हें भरना मुनासिब नहीं समझते। **फोटो:** रजत शर्मा

शहर मौसम



तापमान

29.1°	24.4°
अधिकतम	न्यूनतम

आर्द्रता : **96** (अधिकतम)
हवा की गति : **12** किमी/घंटा

फोरकास्ट
बारिश की संभावना
स्रोत- मौसम केन्द्र भोपाल

पॉल्यूशन स्तर

पर्यावरण परिसर : 105	00%
टीटी नगर : 95	0.0%
कलेक्ट्रेट ऑफिस : 40	00%

अच्छा	ठीक	मध्यम
0-50	51-100	101-200
खराब	गंभीर	खतरनाक
201-300	301-400	401-500

ट्रैफिक अलर्ट

- **आज** प्रभात चौराहे से काली मंदिर रोड पर पुलिया निर्माण कार्य के चलते रास्ता बंद है।
- **वैकल्पिक मार्ग** 80 फीट रोड अशोका गार्डन थाने के सामने वाले रास्ते से आवाजाही हो रही है।

सिटी हेल्पलाइन

- **बिजली विभाग:** 18002331912
- **जलप्रदाय विभाग:** 0755 4512222
- **पुलिस विभाग:** 07552555922
- **फायर बिग्रेड:** 07552542222
- **फायर बिग्रेड:** 07552542222
- **कचरा गाड़ी/बाढ़ नियत्रंण** 0755 2701401

साईनगर शिर्डी एक्सप्रेस अतिरिक्त ट्रिप में चलेगी

भोपाल. रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और अतिरिक्त यातायात भार को क्लियर करने के उद्देश्य से गाड़ी संख्या 04715/04716 बीकानेर-साईनगर शिर्डी- बीकानेर स्पेशल एक्सप्रेस के दोनों दिशाओं में 5-5 फेरे बढ़ाए गए हैं। यह साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन बीकानेर से 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। वापसी में यह स्पेशल ट्रेन साईंनगर शिर्डी से 1 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। यह गाड़ी दोनों दिशाओं में मंडल के भोपाल, इटारसी, हरदा स्टेशनों पर ठहराव लेकर गंतव्य को जाएगी। भोपाल रेल मंडल के अधिकारियों ने बताया कि लगातार इस ट्रेन की अवधि को बढ़ाने के लिए यात्रियों की मांग थी। इसके फेरे बढ़ाए गए हैं। इसकी पूरी जानकारी रेलवे हेल्प लाइन नंबर 139 से ले सकते हैं।

मेट्रो की बैठक में जमीन पर चर्चा

भोपाल. मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जमीन निकालने की कवायद तेज हो गई है। शनिवार को मेट्रो ट्रेन कारपोरेशन और जिला प्रशासन के बीच इसपर बैठक हुई। प्रशासन से अब तक जमीन को लेकर हुई चर्चा व कार्रवाई की रूपरेखा भी साझा की गई। जमीन का मुआवजा देकर जमीन को खाली कराने के लिए प्रशासन से कहा गया। मामले में एडीएम स्तर से टीम बनाकर काम किया जा रहा है।

#CoachingIssue बेसमेंट में नहीं चलेंगी कोचिंग क्लासेस

पार्किंग और फायर सेफ्टी के लिए एक महीने की मोहलत

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. बेसमेंट में कोचिंग होगी न लाइब्रेरी। कार्यालय या इसी तरह की अन्य गतिविधि भी नहीं होगी। बेसमेंट सिर्फ पार्किंग के लिए रहेगा। आवाजाही के अलग-अलग रास्ते रहेंगे। इसके लिए भवन में जरूरी बदलाव करने के लिए एक माह का समय तय किया गया। कोचिंग संस्थाओं के साथ प्रशासन की शनिवार को हुई बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं। कोचिंग संचालकों का कहना था कि ये काम भवन स्वामी को कराना है। प्रशासन ने कोचिंग संचालकों को स्पष्ट कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी है, एक माह बाद तगड़ा जुर्माना व अन्य कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में जांच और कार्रवाई में बेसमेंट में कामकाज संचालित करने पर अब तक सात कोचिंग संस्थाओं को सील किया जा चुका है। प्रशासन की बैठक में करीब 45 कोचिंग संचालक पहुंचे थे।

प्रशासन और कोचिंग संचालकों की बैठक



बेसमेंट में सिर्फ पार्किंग ही होगी। इसके लिए संचालकों को निर्देशित किया गया है। एक माह बाद जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

आशुतोष शर्मा, एसडीएम एमपी नगर

कोचिंग संचालकों को निर्देश

- बेसमेंट का प्रयोग केवल पार्किंग के लिए ही हो। अतिरिक्त वाहनों को मल्टीलेवल पार्किंग या फिर निगम की चिन्हित पार्किंग का उपयोग करें। रोड पर बिल्कुल पार्किंग न हो।
- संस्थान में अग्नि दुर्घटना रोकने व अग्नि दुर्घटना से बचाव के लिए फायर सेफ्टी मानकों के अनुसार व्यवस्था की जाए।
- संस्थान में बिजली सुरक्षा से संबंधित सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
- संस्थान में लिफ्ट की सुविधा है तो लिफ्ट की जांच व मरम्मत करवाकर रिपोर्ट नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।
- संस्थान से आपातकालीन निकासी की व्यवस्था कराई जाए।
- संस्थान मॉक ड्रिल की व्यवस्था करेगा।
- संस्थान में फर्स्ट एड बॉक्स समेत अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित होगी।
- छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाए।

संपदा 2.0 से बदलेगी जमीन की खरीदी-बिक्री की प्रोसेस

भोपाल. 15 अगस्त से संपदा 2.0 लागू हो जाएगा। इससे जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया और और आसान हो जाएगी। लोगों को बार-बार सरकारी आफिस का चक्कर लगाने से आजादी मिल जाएगी। जमीनों की खरीदी के तत्काल बाद ट्रांसफर अपने आप हो जाएगा। देश में पहली बार क्रियान्वित हो रहे इस साफ्टवेयर में कई खासियत हैं। रजिस्ट्रार के दफ्तर जाए बिना ही जमीन क्रेता के नाम पर हो जाएगी। दस्तावेजों के डिजिटलीकरण और कृषि भूमि के खसरे के अंतरण के दस्तावेज रजिस्टर्ड होने की प्रक्रिया से जुड़े होंगेप इसके चलते संपदा एप्लीकेशन से राजस्व विभाग के रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम (आरसीएमएस) के उपयोग से साइबर तहसीलों में स्वत:नामांतरण हो जाएगा।

संपदा 2.0 में ये सुविधाएं: संपदा साफ्टवेयर से सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में उपस्थित होने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट डीमैट दस्तावेज में परिवर्तन हो जाएंगे। साथ ही फेसलेस पंजीयन हो पाएगा। इलेक्ट्रानिक रूप से रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप एवं ईमेल के माध्यम से तत्काल बेनिफिसरी को मिल जाएंगे।

64 साल की महिला के माइट्रल वाल्व सिकुड़े थे

बीएमएचआरसी में हार्ट रिपेयर की सर्जरी शुरू, वाल्व को किया ठीक

भोपाल @ पत्रिका. बीएमएचआरसी (भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र) में हार्ट रिपेयर सर्जरी शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया हार्ट वाल्व से संबंधित बीमारियों से ग्रसित मरीजों के इलाज में कारगर होती है। अस्पताल में इसी रोग से ग्रसित 64 साल की गैस पीड़ित का सफल हार्ट वाल्व रिपेयर किया गया है। यह ऑपरेशन कार्डियो थोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) विभाग के डॉक्टरों द्वारा किया गया है। खास बात यह रही कि मरीज की सर्जरी के बीच में डॉक्टरों ने वाल्व रिप्लेसमेंट से बेहतर विकल्प वाल्व रिपेयर करना तय किया। डॉ. गिरिराज गर्ग ने बताया कि महिला रुमेटिक हृदय रोग से पीड़ित थी। उसे चलने में सांस फूलती थी, जिससे वे छोटे से छोटे काम के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर थीं। इस समस्या के चलते वे अस्पताल पहुंची, जहां जांच में हृदय में स्थित माइट्रल वाल्व सिकुड़े की बात सामने आई। जिसकी वजह से हार्ट में रक्त का प्रवाह बाधित हो रहा है।

बीएमएचआरसी में वाल्व रिटायरमेंट सर्जरी शुरू हो गई है। इससे हार्ट वाल्व की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को फायदा होगा।

डॉ. मनीषा श्रीवास्तव, प्रभारी निदेशक, बीएमएचआरसी, भोपाल

अब नहीं खानी होगी दवा

डॉ. गर्ग ने बताया कि महिला की सर्जरी के लिए दो विकल्प रखे गए थे। ऑपरेशन करते वक्त सही अंदाजा लगने के बाद वाल्व रिप्लेस करने के स्थान पर रिपेयर करना बेहतर विकल्प पाया। उन्होंने कहा कि रिपेयर प्रक्रिया में इन्फेक्शन का खतरा कम और बार-बार इलाज के लिए अस्पताल भी नहीं आना पड़ता।

इसलिए खराब हो जाते हैं वाल्व: हृदय में चार वाल्व एकोटिक, माइट्रल, पल्मोनरी और ट्राइकस्पिड होते हैं। इनका काम रक्त को सही दिशा में प्रवाहित करना रहता है। हर वाल्व में फ्लैप होते हैं। जो हर बार दिल की धड़कन के साथ खुलते और बंद होते हैं।

एक अक्टूबर से एयरपोर्ट पर होंगे कई बदलाव

राजाभोज एयरपोर्ट पर अब दिन-रात फ्लाइट, चेहरा बनेगा बोर्डिंग पास

भोपाल @ पत्रिका. राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1 अक्टूबर से चौबीसों घंटे फ्लाइट्स का संचालन करेगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय इसके लिए मंजूरी जारी कर दी है। अभी एयरपोर्ट रात की आखिरी फ्लाइट जाने के बाद लगभग 10 बजे तक बंद हो जाता है। केंद्र की मंजूरी से शहर की कनेक्टिविटी पहले से जयादा बढ़ेगी। डिजी यात्रा सुविधा भी शुरू होगी, जो चेहरे की पहचान के जरिए कागजी कार्य को खत्म करेगी। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने कहा कि इससे यात्रियों का अनुभव सुचारू और बेहतरीन हो जाएगा। भोपाल एयरपोर्ट अब डिजी यात्रा सेवाएं शुरू करने के लिए भी तैयारी कर रहा है। भोपाल एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने कहा कि डिजी यात्रा एक अभिनव पहल है जो यात्रियों की पहचान वैरिफाई करने के लिए चेहरे की पहचान प्रणाली का उपयोग करती है। इस तकनीक का उद्देश्य पूरी यात्रा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।

यात्रियों को ये फायदा होगा

डिजी यात्रा प्रत्येक चरण में दस्तावेजों के मैन्युअल सत्यापन की आवश्यकता को समाप्त कर देगी, क्योंकि एफआरएस विभिन्न चौकियों पर यात्रियों की पहचान को प्रमाणित करेगा। इसमें हवाई अड्डे का प्रवेश द्वार, पूर्व-सुरक्षा जांच और बोर्डिंग गेट शामिल हैं। इस कदम से यात्रियों को हवाई अड्डे पर नेविगेट करने में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा।

कागजरहित होगा प्रवेश

डिजी यात्रा के लिए, यात्रियों को पहचान विवरण के साथ अपने चेहरे का बायोमेट्रिक डेटा रजिस्टर करना होगा। यह एक बार की पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन या हवाई अड्डे के कियोस्क पर पूरी की जा सकती है। एक बार पंजीकृत होने के बाद, यात्री कागज रहित और संपर्क रहित यात्रा अनुभव का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि उनका चेहरा उनके बोर्डिंग पास और पहचान दस्तावेज के रूप में काम करेगा।

#Nagpanchami प्रशासन की अनोखी पहल, पुजारी देंगे सांपों को बचाने की सलाह

नागपंचमी पर सांपों को दूध पिलाया तो होगा केस दर्ज

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. नागपंचमी पर सांपों की पूजा से कई सांपों की मौत हो जाती है। इस पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल की है। इस बार राज्य में प्रतीकात्मक रूप से नाग देवता की पूजा की जाएगी। इसके लिए वन विभाग 9 अगस्त तक चलाएगा, ताकि नागपंचमी आने से पहले ज्यादा से ज्यादा जागरुकता फैलाई जा सके। जिला प्रशासन ने मंदिर के पुजारियों, जीव प्रेमियों और शहर के संस्थानों के सदस्यों को एक साथ बुलाकर सलाह देने की मुहिम शुरू की गई है। इस अभियान के तहत आने वाली नागपंचमी को प्रतीकात्मक रूप से नाग देवता की पूजन की करने की अपील की जाएगी। लोग मंदिरों और घरों में नाग देवता की मूर्ति की पूजा करके इको सिस्टम में महत्वपूर्ण इन जीवों की रक्षा कर सकते हैं।

सांपों की फूड डाइट में दूध शामिल नहीं

नागपंचमी पर अंधविश्वास के कारण सपेरे सांपों को पकड़कर घर-घर जाकर उनकी पूजन कराते हैं। और उन्हें दूध पीने के लिए मजबूर करते हैं। इससे कई बार नागों की मौत हो जाती है या फिर वे बीमार हो जाते हैं, इसलिए इस बार अनोखी पहल की गयी है। सचाई यह है कि नाग देवता दूध नही पीते। सांपों की फूड डाइट में दूध नहीं है।



नौ अगस्त तक चलेगा अभियान

वन विभाग ने राजधानी भोपाल के कई इलाकों में कार्रवाई तेज कर दी है। पुजारियों और स्वयंसेवी लोगों को ऐसे सपेरे मिलते हैं जो सांपों को दूध पिलाने का आग्रह कर रहे हैं तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज होगी। वन विभाग भी सपेरों पर सख्त कार्रवाई करेगा। उन पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। वन विभाग द्वारा चलाया जा रहा यह खास अभियान आने वाले 9 अगस्त तक चलेगा।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

मण्डल सस्त्र केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल
फोन नं. 0755-2550020

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु **ई-नीलामी विक्रय नोटिस**

आम लोगों को और विशेष रुप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूतिदाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित/वास्तविक कब्जा/सांकेतिक कब्जा (इनमें से जो भी लागू होता हो) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहां है जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नलिखित ऋणियों एव जमानतदारों से बैंक/प्रतिभूत लेनदार की निम्नलिखित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु निम्न दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है:-

ई नीलामी दिनांक 28.08.2024
(ई-नीलामी का समय : प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 5.00 बजे तक प्रत्येक 10 मिनिट के असीमित विस्तार के साथ)

ऋणी/बंधनकर्ता का नाम एवं बंधक संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि	मांग नोटिस दि. कब्जा दिनांक बकाया राशि

निविदाकार अपने प्रस्ताव रु. 25000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र) के गुणांक मे बढ़ा सकेंगे।
मण्डल सस्त्र | प्राधिकृत अधिकारी : श्री बिनीत कुमार | फोन नं. 0755-2550020/9557822211

श्री नारायण सेन पुत्र श्री मुंशीलाल सेन (सांकेतिक आधिपत्य) आवासीय मकान 1. प्लाट बेदनखोड़ी, प.ह.नं. 45, बुक नं. 408062, अर्जी क्र. 267/2/1, **क्षेत्रफल** 16.72 वर्गमीटर (60×3) गंजबासौदा, जिला-विदिशा। **सीमाएँ** :- पूर्व : 20 फिटगली, पश्चिम : 16 फिटगली, उत्तर : क्रेता, दक्षिण : विक्रेता की भूमि। 2. प्लाट बेदनखोड़ी, प.ह.नं. 45, बुक नं. 408002, अर्जी क्र. 267/2, क्षेत्रफल 1320 वर्गफिट (60×22) गंजबसौदा, जिला-विदिशा। **सीमाएँ** :- पूर्व : भूमि मालिक, पश्चिम : 16 फिटगली, उत्तर : विक्रेता की भूमि, दक्षिण : गली। **संपत्ति मालिक** :- श्री नारायण सेन पुत्र श्री मुंशीलाल सेन	(₹) 22.77 लाख	(₹) 02.28 लाख	25-11-2015 (अभिलेख दिनांक 28/12/2018) 28-10-2020 ₹ 2577469.00 + देय ब्याज एवं अन्य खर्च
श्री राजेश कुमार मिश्रा पुत्र स्व. श्री एम.डी. शर्मा एवं श्रीमती पूनम मिश्रा पत्नि श्री राजेश कुमार मिश्रा (भौतिक आधिपत्य) बंधक संपत्ति का समस्त भू-भाग फ्लैट नं. 23, तृतीय तल, जी1/22 एवं 23, भोजपुर टॉवर, गुलमोहर कॉलोनी, वार्ड नं. 50, तहसील-हुजूर, जिला - भोपाल (म.प्र.) 462039, क्षेत्रफल: 450 वर्ग फिट, सीमाऐं सेल डीड अनुसार : पूर्व- प्लाट नं. जी 1/23, पश्चिम-प्लाट नं. जी 1/21, उत्तर- 30 फिटचौड़ी रोड, दक्षिण -प्लाट नं. 30	(₹) 11.83 लाख	(₹) 01.19 लाख	13-04-2023 02-08-2023 ₹ 1357454.80 + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
श्री इमरान खान (सांकेतिक आधिपत्य) आवासीय फ्लैट नं. एस-5, द्वितीय तल,, गोयल काम्पलेक्स, बाल विहार रोड के पास, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल। क्षेत्रफल : 450 वर्गफिट या 41.82 वर्ग मीटर, सीमाएँ :- पूर्व : रोड, पश्चिम : आम रास्ता, उत्तर : खुला, दक्षिण : फ्लैट नं. एस-4 सम्पत्ति मालिक -श्री इमरान खान पुत्र श्री गनी खान।	(₹) 09.97 लाख	(₹) 01.00 लाख	15-04-2017 10-07-2017 ₹ 1329627.00 + दिनांक 01.04.2017 देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
मेसर्स रेवा सुपर मार्केट (सांकेतिक आधिपत्य) बंधक संपत्ति डायवर्टेड भूमी खसरा नं. 239/2/1, पह नं. 21, वार्ड नं. 15, नसरूल्लागंज, तहसील-नसरूल्लागंज, जिला-सीहोर, क्षेत्रफल : 0.105 हैक्टर भूमी (11400 वर्ग फिट या 0.26 एकड़), सीमाएं - पूर्व : रोड, पश्चिम :विक्रेता शेष भूमी, उत्तर :रोड, दक्षिण :रोड, संपत्ति मालिक : श्रीमती तेजकुंवर चावड़ा पत्नि श्री सावल सिंह चावड़ा, श्री इंद्रजीत सिंह चावड़ा पुत्र श्री सावल सिंह चावड़ा, श्री सतेन्द्र सिंह चावड़ा पत्र श्री सावल सिंह चावडा एवं श्री जितेन्द्र सिंह चावडा पत्र श्री सावल सिंह चावडा	(₹) 46.17 लाख	(₹) 04.62 लाख	03-11-2018 15-01-2019 ₹ 3377000.00 + दिनांक 01.10.2018 देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
मेसर्स श्रीमती साड़ी एम्पोरियम (सांकेतिक आधिपत्य) अ) व्यवसायिक सम्पत्ति का समस्त भू-भाग, दुकान नं. एलएफ-22, निचला तल = लोवर ग्राउंडफ्लोर, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स - ''मानसरोवर'' होशंगाबाद रोड ''र'' ब्लिो, वार्ड नं. 44/205, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल, म.प्र. स्थित, क्षेत्रफल : 450 वर्गफिट। **सीमाएँ** :- उत्तर : दुकान नं. एलएफ-23, दक्षिण : सीढ़ीयाँ, पूर्व : गलियारा, पश्चिम : ड्क्ट, सम्पत्ति : श्री मनीष लिलवानी पुत्र स्व. श्री नाथुलाल लिलवानी	(₹) 55.17 लाख	(₹) 05.52 लाख	29-10-2015 11-01-2016 ₹ 21292520.00 + दिनांक 01.10.2015 देय ब्याज एवं अन्य खर्च
ब) व्यवसायिक सम्पत्ति का समस्त भू-भाग, दुकान नं. एलएफ-23, निचला तल = लोवर ग्राउंड फ्लोर, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स - ''मानसरोवर'' होशंगाबाद रोड ''र'' ब्लिो, वार्ड नं. 44/205, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल, म.प्र. स्थित, क्षेत्रफल : 445 वर्गफिट। **सीमाएँ** :- उत्तर : दुकान नं. एलएफ-24, दक्षिण : दुकान नं. एलएफ-22, पूर्व : गलियारा, पश्चिम : ड्क्ट, सम्पत्ति : श्री रमेश लिलवानी पुत्र स्व. श्री नाथुलाल लिलवानी (सांकेतिक आधिपत्य)	(₹) 55.17 लाख	(₹) 05.52 लाख	
मेसर्स संजय कुमार, प्रदीप कुमार (प्रोपराइटर श्री नन्नूलाल राठौर पुत्र श्री दयाराम राठौर) एवं मेसर्स श्रीदयाजी ट्रेडर्स (प्रोपराइटर श्रीमती कमला बाई राठौर पत्नि श्री नन्नूलाल राठौर) 1.बंधक संपत्ति प्लाट नं. 293, अरिहंत विहार कॉलोनी, फेस-01, वार्ड नं. 04, तहसील एवं जिला - विदिशा (म.प्र.) क्षेत्रफल : 111.52 वर्ग मीटर, सीमाएँ : पूर्व- प्लाट नं.292, पश्चिम- प्लाट नं.294, उत्तर- रोड 25 फिट, दक्षिण- प्लाट नं.283, संपत्ति मालिक : श्री प्रदीप राठौर पुत्र श्री नन्नूलाल राठौर (सांकेतिक आधिपत्य)	(₹) 56.30 लाख	(₹) 05.63 लाख	16-05-2023 12-09-2023 ₹ 6804519.92 + दिनांक 01.05.2023 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
2. बंधक संपत्ति प्लाट नं. 294, अरिहंत विहार कॉलोनी, फेस-01, वार्ड नं. 04, तहसील एवं जिला - विदिशा (म.प्र.) 464001, क्षेत्रफल : 111.52 वर्ग मीटर, सीमाएँ : पूर्व- प्लाट नं.293, पश्चिम- प्लाट नं.295, उत्तर- रोड 20 फिट, दक्षिण- प्लाट नं. 282, संपत्ति मालिक : श्री नन्नूलाल राठौर पुत्र श्री दयाराम राठौर (सांकेतिक आधिपत्य)	(₹) 56.30 लाख	(₹) 05.63 लाख	25-05-2023 12-09-2023 ₹ 4589173.28 + दिनांक 01.05.2023 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
मेसर्स मधु ट्रेडर्स प्रो. श्रीमती निधि जैन पत्नि श्री सतीश जैन 1. जीवायए-06, कृषि उपज मंडी, करौंद, जिला-भोपाल, कुल क्षेत्रफल 3000 वर्ग फिट। सीमाएं: पूर्व-रोड, पश्चिम- जीवायसी-07, उत्तर- प्लॉटनं. 07, दक्षिण- प्लॉटनं. 05। सम्पत्ति मालिक: मेसर्स मधु ट्रेडर्स प्रो. निधि जैन। (सांकेतिक आधिपत्य)	(₹) 129.60 लाख	(₹) 12.96 लाख	03-10-2019 03-01-2020 ₹ 9873792.19 +देय ब्याज एवं अन्य खर्च
2. सम्पत्ति का समस्त भूभाग रहवासी मकान नं. 280, आम्रपाली सोसायटी, जैन नगर, ग्राम नयापुरा, लालघाटी, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल, प्लॉट एरिया 967.50 वर्ग फिट। सीमाएं: पूर्व- प्लॉटनं. 279, पश्चिम- प्लॉटनं. 281, उत्तर- प्लॉटनं. 283, दक्षिण- रोड। सम्पत्ति मालिक: श्री शीतल चंद जैन पुत्र श्री प्रेम चंद जैन व श्रीमती स्नेहलता जैन पत्नि श्री शीतल चंद जैन। (सांकेतिक आधिपत्य)	(₹) 68.80 लाख	(₹) 06.88 लाख	
मेसर्स पंजाब डेयरी एवं प्रोटीन प्रो. श्री अशोक कुमार (भौतिक आधिपत्य) दुकान नं. 04, भूतल प्लाट नं. 192-ई, आश्रय अपार्टमेंट, सेक्टर बी, के के नगर, सर्वधर्म कॉलोनी, वार्ड नं. 82, ग्राम- दामखेड़ा, कोलार रोड, भोपाल स्थित, क्षेत्रफल : 165 वर्ग फिट, सीमाऐं : पूर्व-प्लाटनं.192एफ, पश्चिम-दुकान नं.03, उत्तर-कलियासोत नदी, दक्षिण-कोरिडोर, संपत्ति मालिक : श्री हिमांशु ञवर (जमानतदार)	(₹) 07.38 लाख	(₹) 00.74 लाख	03-01-2022 16-03-2022 ₹1360254.00 + दिनांक 01.01.2022 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
श्री बृजेश यान्गिक पुत्र श्री उदयवीर सिंह (भौतिक आधिपत्य) फ्लैट नं. 04, प्लॉट नं. 10, सेक्टर डी, चतुर्थ तल, क्षिप्रा ब्लॉक नं. 01, इंडस्ट्रीयल एरिया, मंडीदीप, वार्ड नं. 13, तहसील गोहरगंज, जिला रायसेन, **क्षेत्रफल**-600 वर्ग फिट। **सीमाएँ** :- पूर्व: खुला भाग, पश्चिम: क्षिप्रा ब्लॉक 01, चतुर्थ तल 05, उत्तर : गलियारा, दक्षिण : क्षिप्रा ब्लॉक 02, चतुर्थ तल 03, **सम्पत्ति मालिक:** श्री बृजेश यान्गिक पुत्र श्री उदयवीर सिंह।	(₹) 08.92 लाख	(₹) 00.89 लाख	01-08-2019 22-10-2019 ₹ 1518496.62 +देय ब्याज एव अन्य खर्च
मेसर्स वीबीडी स्ट्रक्चर प्रा.लि. 1. श्री मनोज सिंह सोमवंशी पुत्र श्री संत प्रसाद सोमवंशी 2. श्रीमती ज्योति सोमवंशी पत्नि श्री मनोज सिंह सोमवंशी(निदेशक वीबीडी स्ट्रक्चर प्रा.लि. एवं जमानतदार) 1. फ्लैटनं. एस-01, द्वितीय तल, बीबीसी काम्प्लेक्स, प्लाटनं. 20, जोन-2, एम.पी.नगर, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र) **क्षेत्रफल** 95.55 वर्ग मीटर। **सीमाएँ** : पूर्व- रोड, पश्चिम- फ्लैट नं. एस-02, उत्तर- प्लाटनं. 21, दक्षिण-प्लाट नं.19। (भौतिक आधिपत्य) **संपत्ति मालिक** - श्री मनोज सिंह सोमवंशी पुत्र श्री संत प्रसाद सोमवंशी 2. फ्लैट नं. एस-02, द्वितीय तल, बीबीसी काम्प्लेक्स, प्लाट नं. 20, जोन-2, एम.पी. नगर, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र), **क्षेत्रफल** 108.92 वर्ग मीटर। **सीमाएँ** : पूर्व- फ्लैट नं. एस-01, पश्चिम- रोड, उत्तर- आम मार्ग एवं सीढ़ी, दक्षिण-प्लाट नं.19। **संपत्ति मालिक** - श्रीमति ज्योती सोमवंशी पत्नी श्री मनोज सिंह सोमवंशी (भौतिक आधिपत्य) 3. फ्लैटनं. एफएस-01, प्रथम तल, बीबीसी काम्प्लेक्स, प्लाटनं. 20, जोन-2, एम.पी. नगर, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र) **क्षेत्रफल** 95.55 वर्ग मीटर। **सीमाएँ** : पूर्व- रोड, पश्चिम- फ्लैट नं. एफएस-02, उत्तर- प्लाटनं. 21, दक्षिण-प्लाट नं.19। **संपत्ति मालिक** - श्री मनोज सिंह सोमवंशी पुत्र श्री संत प्रसाद सोमवंशी (भौतिक आधिपत्य) 4. फ्लैटनं. एफएस-02, प्रथम तल, बीबीसी काम्प्लेक्स, प्लाटनं. 20, जोन-2, एम.पी. नगर, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र), **क्षेत्रफल** 108.92 वर्ग मीटर। **सीमाएँ** : पूर्व- फ्लैट नं. एफएस-01, पश्चिम- रोड, उत्तर- आम मार्ग एवं सीढ़ी, दक्षिण-प्लाट नं.19। **संपत्ति मालिक** - श्रीमति ज्योती सोमवंशी पत्नी श्री मनोज सिंह सोमवंशी (भौतिक आधिपत्य) 5. ऑफिस नं. -01, मेझानाइन तल, बीबीसी काम्प्लेक्स, प्लाटनं. 20, जोन-2, एम.पी. नगर, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र), **क्षेत्रफल** 130 वर्ग फीट। **सीमाएँ** : पूर्व-खूली भूमि, पश्चिम-विक्रेता की संपत्ति, उत्तर- विक्रेता की संपत्ति, दक्षिण-अन्य भूमि। **संपत्ति मालिक** - श्री मनोज सिंह सोमवंशी पुत्र श्री संत प्रसाद सोमवंशी एवं श्रीमति ज्योती सोमवंशी पत्नी श्री मनोज सिंह सोमवंशी (भौतिक आधिपत्य) 6. प्लाट नं. -20, मेझानाइन तल(1985 वर्ग फीट), भूतल खूला (70 वर्ग फीट), बीबीसी काम्प्लेक्स, जोन-2, एम.पी.नगर, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र)। **सीमाएँ मेझानाइन तल** : पूर्व-ऑफिस चेम्बर एवं रोड, पश्चिम-रोड, उत्तर- प्लाट नं. 21, दक्षिण-प्लाटनं. 19। **सीमाएं भूतल**: पूर्व-शॉप नं. एच, पश्चिम-शॉप नं.डी, उत्तर- आम सीढ़ी, दक्षिण-शॉप नं. सी। **संपत्ति मालिक** - श्री मनोज सिंह सोमवंशी पुत्र श्री संत प्रसाद सोमवंशी (भौतिक आधिपत्य)	(₹) 509.50 लाख	(₹) 50.95 लाख	मेसर्स वीबीडी स्ट्रक्चर प्रा. लि. सभी संपत्ति संयुक्त रूप से बेची जावेगी।
मेसर्स बुलबुल कलर कॉर्मेटिक प्रो. अंशुल अग्रवाल दुकान नं. 02-ए, क्षेत्रफल : 77.68 वर्गफीट, हामिद काम्प्लैक्स, आटा सूजा खां, कोतवाली रोड के अंदर, भोपाल. सीमाएं : पूर्व-खालिद अंसारी साहब का मकान, पश्चिम-8 फीट चौड़ा कॉमन पैसेज, उत्तर-दुकान नं. 02-बी, दक्षिण-सीढ़ियां, संपत्ति मालिक श्री मुन्नालाल अग्रवाल पुत्र स्व. श्री बाबूलाल अग्रवाल (सांकेतिक आधिपत्य)	(₹) 07.70 लाख	(₹) 00.77 लाख	27-07-2021 14-10-2021 ₹1196038.62 + दिनांक 01.07.2021 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
मेसर्स मधु ट्रेडर्स प्रो. श्रीमती निधि जैन पत्नि श्री सतीश जैन 1. जीवायए-06, कृषि उपज मंडी, करौंद, जिला-भोपाल, कुल क्षेत्रफल 3000 वर्ग फिट। सीमाएं: पूर्व-रोड, पश्चिम- जीवायसी-07, उत्तर- प्लॉटनं. 07, दक्षिण- प्लॉटनं. 05। सम्पत्ति मालिक: मेसर्स मधु ट्रेडर्स प्रो. निधि जैन। (सांकेतिक आधिपत्य)	(₹) 129.60 लाख	(₹) 12.96 लाख	03-10-2019 03-01-2020 ₹ 9873792.19 +देय ब्याज एवं अन्य खर्च
2. सम्पत्ति का समस्त भूभाग रहवासी मकान नं. 280, आम्रपाली सोसायटी, जैन नगर, ग्राम नयापुरा, लालघाटी, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल, प्लॉट एरिया 967.50 वर्ग फिट। सीमाएं: पूर्व- प्लॉटनं. 279, पश्चिम- प्लॉटनं. 281, उत्तर- प्लॉटनं. 283, दक्षिण- रोड। सम्पत्ति मालिक: श्री शीतल चंद जैन पुत्र